मान्यवर, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं आज कोई ऐसा स्टेशन नहीं है जहां सैकड़ों यात्री आठ-आठ दस दस घन्टे तक गाड़ियों की इन्तजार में पड़ रहते हैं या गाड़ियां केन्सिल हो जाती हैं। पूर्वोत्तर रेलवे में पिछले 2 दिसम्बर से 22 महत्वपूर्ण गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं, जिन में बम्बई-हावड़ा मेल, सियालदा एक्सप्रेस तथा अन्य महत्वपूर्ण गाड़ियां भी हैं। पटना की हालत यह है कि पाटलीपुत्र एक्सप्रेस, रांची एक्सप्रेस रद्द हैं। यात्री न हवाई जहाज से जा सकते हैं और न रेल से जा सकते हैं।

मैं आप के माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए जानना चाहता हूं —रेलवे की एफिशियेन्सी के लिए, ठीक समय पर गाड़ियों को चलाने के लिए क्या वह एक कमेटी नियुक्त करने के लिए तैयार हैं? उस कमेटी में रेलवे के वे अधिकारी न रखे जायें जिन के कारण गाड़ियां लेट चल रही हैं।

2. मंत्री महोदय इस बात का स्पष्टीकरण करें कि कब तक रेलवे की यह हालत रहेगी? ... (**व्यवधान**) ....

3. रेलवे में इस तरह की अनुशासन-भ्रष्टाचार और एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह की जो गैरजवाबदेही चल रही है, इस पर सरकार ध्यान दे। मैं चाहता हूं कि रेल मंत्री इन सब बातों के बारे में एक वक्तव्य दें।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (शाजापुर) मैं बम्बई 6 घण्टे लेट पहुंचा।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : उस कमेटी का चेयरमैन श्री शंकरदयाल सिंह को बनाया जाये।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): The country is in a state of nearparalysis in regard to the transport system.

श्री बूटा सिंह (रोपड़) : 70 लाख लोग रोज रेलगाड़ी से चलते हैं। गाड़ियां 5—7 घण्टे लेट चलती हैं। शंकर दयाल जी ने ठीक कहा है इस पर कुछ न कुछ होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इस में एक गल्ती हो रही है। जब आप उन का नाम लें तो "सिंह" जरूर लगा दिया करें, क्योंकि गल्ती से डा० शंकर दयाल न समझे जायें।

SHRI P. G. MAVALANKAR (Ahmedabad): What has happened to the Railway Minister?

MR. SPEAKER: The Railway Minister is not here. I will ask him to make a statement on it.

(ii) REPORTED AUCTION OF PROPERTIES OF THE ALCOCK ASHDOWN COMPANY LTD.

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, अभी अभी महा-सचिव ने एल्काक एशडाउन के बारे में संदेश की चर्चा की थी। कल टूक काल से मुझे खबर मिली कि जो हमने एल्काक एशडाउन का विधेयक पास किया था वह कानून बनने के पहले ही उस पर पानी फेर दिया गया है, उसको नलीफाई कर दिया गया है। एल्काक एशडाउन की जायदाद बम्बई के कोर्ट रिसीवर ने नीलाम में बेच डाली है। सरकारी प्रतिनिधि जज के पास गये, डिवीजन बैन्च के सामने भी मामला रखा गया लेकिन कोर्ट ने कहा कोई कानून नहीं है आपको अधिकार देने वाला, आप बीच में कैसे आते हैं, आपकी क्या लोकस-स्टैंडाई है? यहां पर हमने इसीलिए कहा है कि यह राष्ट्रीयकरण संसद् सत्र के पहले अध्यादेश द्वारा करके उस जायदाद को कब्जे में लेना चाहिए था लेकिन इन्होंने अध्यादेश जारी किया है एक्सपाइज ड्यूटी पर।

अब मेरा सरकार से अनुरोध है कि आज ही सरकार नया बिल लेकर आये और ज सम्पत्ति आक्शन में गई है उसको कब्जे में लेने के लिए

[श्री मधु लिमये]

कोई प्रावधान उस बिल में रखें। मैंने मंत्री महोदय को अपने पत्र की एक नकल दी थी लेकिन मन्त्री महोदय चले गये—इसका मतलब क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : वह आ जायेंगे। आपने दे दिया है, अच्छा किया है।

श्री मधु लिमये : यह सदन का अपमान है। आप उनको आदेश दीजिये।

MR. SPEAKER: May I tell you this? You sent it to me yesterday. I did not admit it yesterday. You sent it me again. The notice to the Minister has gone very late; we cannot expect him to be present. After all they should be given reasonable time.

श्री मधु लिमये : मैं इतना ही चाहता हूं कि इसके बारे में मंत्री जी एक वक्तव्य दें। हमारी और कोई मांग नहीं है।

MR. SPEAKER: 377 is not a right; nor is it a call attention motion. If you give notice at 10 O'clock this morning, how can the Minister come prepared? I am sending it to him. I did not admit it yesterday.

श्री मधु लिमये : आप मंत्री जी से वक्तव्य दिलवायें, इतनी ही हमारी मांग है।

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): This was pointed out even before the event took place....

MR. SPEAKER: Please sit down; that is enough. What do you think? He has not put it right? He has put it so well.

इसीलिए मैं 377 में एडमिट नहीं करता क्योंकि उसमें टाइम इतना कम होता है और आप उस पर इंसिस्ट कर लग जाते हैं। यह भी एक देखने वाली बात है।

12.54 hrs.

CONSTITUTION (THIRTY-SECOND AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be referred to a Joint Committee of the House consisting of 60 members, 40 from this House, namely:—

(1) Dr. Henry Austin
(2) Shri H. K. L. Bhagat
(3) Shri Somnath Chatterjee
(4) Shri M. C. Daga
(5) Shri Madhu Dandavate
(6) Shri Darbara Singh
(7) Shri K. G. Deshmukh
(8) Shri P. Gangadeb
(9) Shri H. R. Gokhale
(10) Shri M. M. Hashim
(11) Shrimati V. Jeyalakshmi
(12) Shri Bhogendra Jha
(13) Shri Popatlal M. Joshi
(14) Shri Arjun Shripat Kasture
(15) Shri Zulfiquar Ali Khan
(16) Shri C. H. Mohamed Koya
(17) Shri K. Lakkappa
(18) Shri Nihar Laskar
(19) Shri B. P. Maurya
(20) Shri P. G. Mavalankar
(21) Shri Nathuram Mirdha
(22) Shri G. S. Mishra
(23) Shri Shyamnandan Mishra
(24) Shri Piloo Mody
(25) Shri F. H. Mohsin
(26) Shri Samar Mukherjee
(27) Shri Paokai Haokip
(28) Shri Dhan Shah Pradhan
(29) Shrimati Maya Ray
(30) Maulana Ishaque Sambhali
(31) Shri P. M. Sayeed
(32) Dr. Shankar Dayal Sharma
(33) Shri Nawal Kishore Sinha